



Neutral Citation No. – 2026:AHC:174507

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-29190 वर्ष 2026

हेमा देवी

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता:

शमसुद्दीन खान

विपक्षीगण के अधिवक्ता:

शा.अधि.

न्यायालय संख्या-64

माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा

1. राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनंद द्वारा प्रस्तुत मृतका की शव परीक्षण रिपोर्ट तथा विसरा रिपोर्ट की प्रति अभिलेख पर ली जाती है।
2. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ब्रीफ होल्डर श्री अनुपम आनंद को सुना गया। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, विचारण लंबित रहने की अवधि में, मुकदमा अपराध संख्या-04 सन् 2026, धारा 108, 115(2) तथा 352 भा.न्या.सं., थाना-जसपुरा, जनपद-बांदा के अधीन आवेदिका को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदिका मृतक की पत्नी है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना का कथित रूप से 24.11.2025 को घटित होना कहा गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट 10.01.2026 को दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में असाधारण विलंब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मृत्यु का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। विसरा सुरक्षित रखा गया था और रासायनिक विश्लेषण हेतु भेजा गया था। विसरा रिपोर्ट के अनुसार, एल्युमिनियम फॉस्फाइड विष पाया गया। इसके अलावा, प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों तथा अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 भा.न्या.सं. के अधीन अपराध गठित करने हेतु आवश्यक तत्व नहीं बनते। आवेदिका की ओर से किसी भी सकारात्मक उकसाने या जानबूझकर सहायता करने के कृत्य के अभाव में केवल अपमान, उत्पीड़न तथा "जाओ और मर जाओ" शब्दों के उच्चारण का आरोप, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का गठन नहीं करेगा। अपने कथन के समर्थन में, आवेदिका के अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निपुण अनेजा तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (आपराधिक अपील संख्या 654 सन् 2017) दिनांक 03.10.2024 को निर्णीत तथा अभिनव मोहन डेलकर बनाम महाराष्ट्र राज्य तथा अन्य (आपराधिक अपील संख्या 2177-2185 सन् 2024) दिनांक 18.08.2025 को निर्णीत पर निर्भरता व्यक्त की है। आवेदिका 13.02.2026 से जेल में है, उसका कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. विद्वान अ.शा.अधि. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु अभिलेख से उपर्युक्त कथनों को संतोषजनक रूप से विवादित नहीं कर सके।
6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपों तथा अन्वेषण के दौरान एकत्रित सामग्री के अनुसार, धारा 108 भा.न्या.सं. के अधीन अपराध गठित करने हेतु आवश्यक तत्व नहीं बनते। आवेदिका को कोई प्रत्यक्ष कृत्य आरोपित नहीं है, जिसे आत्महत्या के कृत्य में उकसाने, षड्यंत्र या जानबूझकर सहायता के रूप में समझा जा सके। इसके अलावा, आवेदिका एक महिला है तथा छह महीने से अधिक समय से निरुद्ध है और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई आशा नहीं है, विशेष रूप से जब राज्य द्वारा कोई युक्तियुक्त आशंका सामने नहीं लाई गई है कि आवेदिका, यदि जमानत पर रिहा की जाती है, तो या तो साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगी या विचारण में विलंब करेगी या गवाहों को धमकाएगी, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, मेरा विचार है कि आवेदिका जमानत पर रिहा किए जाने की अधिकारी है।
7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में लिप्त आवेदिका **हेमा देवी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बॉन्ड तथा उतनी ही राशि के दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए कि वह:
- (i) विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगी;
 - (ii) अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगी;
 - (iii) अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति विवेक वर्मा)

19 अगस्त, 2026

अभिषेक

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”